भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1521
10 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जिला अस्पतालों का चिकित्सा महाविद्यालयों के रूप में उन्नयन

1521. एडवोकेट ए.एम. आरिफ़:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अवर-स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वीकृत सीटों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या सरकार का केरल सहित राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों में जिला अस्पतालों को चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के रूप में उन्नयन करने का विचार है, ताकि चिकित्सा स्नातकोत्तर (पीजी) सीटें बढ़ाई जा सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ख): सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि की है और तदुपरान्त एमबीबीएस सीटों में वृद्धि की है। मेडिकल कॉलेजों में 2014 से पहले के 387 से अब तक 655 तक 69% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, एमबीबीएस सीटों में 2014 से पहले की 51348 से अब तक 100163 तक 95% की वृद्धि हो गई है और पीजी सीटों में 2014 से पहले की 31185 से अब तक 65335 तक 110% की वृद्धि हो गई है। इसके अलावा, जैसा कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा सूचित किया गया है, देश में अब तक एमबीबीएस (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 90:10 के अनुपात में और अन्य के लिए 60:40 के अनुपात में फंड शेयरिंग द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का संचालन करता है, जिसमें ऐसे अल्प सेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। योजना के तहत देश में तीन चरणों में 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है।

मंत्रालय एमबीबीएस (यूजी) सीटों और पीजी सीटों को बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार / केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत सिविल कार्यों और उपकरण और फर्नीचर की खरीद के लिए मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है ।

योजना के तहत केरल राज्य के 02 कॉलेजों में चरण-1 में 150 पीजी सीटों की वृद्धि के लिए सहायता प्रदान की गई है।

इसके अलावा, प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत, केरल में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों/ट्रॉमा परिचर्या केंद्रों आदि के निर्माण और चिकित्सा उपकरणों की खरीद के माध्यम से विशिष्ट स्वास्थ्य अवसंरचना ढांचे में सुधार के लिए उन्नयन हेतु कुल 04 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

अनुलग्नक

वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए देश में मेडिकल कॉलेजों का राज्यवार विवरण

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल स्नातक सीटें*	कुल स्नातकोत्तर सीटें #
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	114	0
2	आंध्र प्रदेश	5585	2816
3	अरुणाचल प्रदेश	50	0
4	असम	1250	738
5	बिहार	2565	1150
6	चंडीगढ़	150	578
7	छत्तीसगढ	1915	562
8	दादरा और नगर हवेली	177	0
9	दिल्ली	1497	2915
10	गोवा	180	131
11	गुजरात	6500	2483
12	हरियाणा	1835	745
13	हिमाचल प्रदेश	920	342
14	जम्मू और कश्मीर	1147	611
15	झारखंड	980	263
16	कर्नाटक	10995	6006
17	केरल	4505	1889
18	मध्य प्रदेश	4180	1935
19	महाराष्ट्र	10295	5765
20	मणिपुर	525	241
21	मेघालय	50	37
22	मिजोरम	100	0
23	ओडिशा	2325	1203
24	पुदुचेरी	1630	943
25	पंजाब	1750	754
26	राजस्थान	5075	2980
27	सिक्किम	150	34
28	तमिलनाडु	11275	4935
29	तेलंगाना	6990	2723
30	त्रिपुरा	225	85
31	उत्तर प्रदेश	9203	3795
32	उत्तराखंड	1150	1811
33	पश्चिम बंगाल	4825	1998

* नए कॉलेजों के लिए एनएमसी द्वारा अनुमति देने/सीटों की वृद्धि और कॉलेजों/सीटों के लिए अनुमति वापस लेने पर 2023-24 के लिए डेटा भिन्न हो सकता है। # (डीएनबी/एफएनबी और सीपीएस को छोड़कर)